हरियाणा मंत्रिमंडल ने एसएमडीए, 2023 विधेयक के मसौदे को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

5 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें सोनीपत मेट्रोपॉलिटिन डेवलपमेंट अथॉरिटी (SMDA), 2023 विधेयक के मसौदे को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- यह मसौदा-विधेयक सोनीपत मेट्रोपॉलिटिन क्षेत्र के निरंतर, स्थायी और संतुलित विकास के लिये जीवन की गुणवत्ता और रोज़गार के अवसरों के सृजन के माध्यम से निवासियों को प्रदान किये जाने वाले उचित जीवन स्तर और एकीकृत और समन्वित योजना, बुनियादी ढाँचे के लिये एक दृष्टि विकसित करने का उद्देश्य रखता है।
- इसके अलावा, इस विधेयक के बनने से शहरी सुविधाओं का विकास और प्रावधान, गतिशीलता प्रबंधन, शहरी पर्यावरण का सतत् प्रबंधन और सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास भी होगा।
- सरकार ने गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटिन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA)] गुरुग्राम, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटिन डेवलपमेंट अथॉरिटी (FMDA), फरीदाबाद और पंचकुला मेट्रोपॉलिटिन डेवलपमेंट अथॉरिटी (PMDA)] पंचकुला की तर्ज पर सोनीपत मेट्रोपॉलिटिन डेवलपमेंट अथॉरिटी (SMDA)] सोनीपत की स्थापना करने का फैसला किया है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य सोनीपत मेट्रोपॉलिटिन एरिया के निरंतर और संतुलित विकास के लिये एक दृष्टि विकसित करना है। प्राधिकरण द्वारा शहरी सुविधा और ढाँचागत विकास को सुदृढ़ किया जा सकेगा।
- सोनीपत मेट्रोपॉलिटिन डेवलपमेंट अथॉरिटी (SMDA) के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, परिवहन मंत्री, सांसद, राज्य विधानसभा के सदस्य, नगर निगम सोनीपत के महापौर एवं वरिष्ठ उप महापौर तथा राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी इस अथॉरिटी के पदेन सदस्य होंगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-cabinet-approves-the-draft-of-the-smda,-2023-bill